

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR

Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: hegtdcano@mp.gov.in

29893076404

Dr. Brijendar Singh Joining Letter

कार्यालय सचिव जनभागीदारी समिति
शासकीय तुलसी महाविद्यालय अनूपपुर जिला अनूपपुर म.प्र.
क्रमांक 1304/2021 अनूपपुर, दिनांक 67.12.21
पता मित - अ कार सिंह पता मित - अ कार एस प्रेंट पता - शार सेरा, मह हुजूर, जिला हीका (9.9)
विषय:—अतिथि विद्वानों को सत्र 2021—22 के लिए आमंत्रण। संदर्भ:—1.उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन भोपाल का पत्र क्र.936/398/आउशि/शा—2/21 भोपाल दिनांक 30.06.2021 2.पत्र क्र.483/166/आईटी/आउशि/2021, भोपाल दिनांक11.11.2021
2.पत्र क्र.483/166/आईटी/आउशि/2021, भोपाल दिनांका1.11.2021 विषयातर्गत एतद द्वारा उक्त संदर्भित पत्रों के परिपालन में आपको शान तुलमी प्रसावित्र क्षनुपष्ठ विषयातर्गत एतद द्वारा उक्त संदर्भित पत्रों के परिपालन में आपको शान हेतु आमंत्रित किया जाता है। में शैक्षणिक सत्र 2021–22 के लिए विषय र्रे. स्वास्त्री र्रे। र्रेस्टिंग में व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया जाता है।
यह आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगाः— 1. यह आमंत्रण सत्र 2021—22 में 12 माह अथवा नियमित प्राध्यापक / सहा. प्राध्यापक / ग्रंथपाल / क्रीझाधिकारी की पदस्थापना / त्रियुक्त होने तक के लिए होगा। 2. आपको महाविद्यालय में तीन दिवस के अंदर (कार्यालयीन समय) तक कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित तिथि तक उपस्थित न देने पर आमंत्रण स्वतः निरस्त हो जायेगा। 3. आपको प्रतिदिवस न्यूनतम 06 घंटे तथा प्रति सप्ताह न्यूनतम 40 घंटे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। जिसके अनुसार प्रतिदिवस न्यूनतम 16 घंटे का अनुसार प्रतिदिवस औसत 7 घंटे का कार्यकाल अपेक्षित है। अतिथि विद्वान हारा प्रति सप्ताह न्यूनतम 16 घंटे का प्रत्यक्ष शिक्षण किया जाना अनिवार्य होगा, इसके अतिरिवत द्यूटीियल, रेमेडिलय क्लासेज आदि में भी शिक्षण का प्रत्यक्ष शिक्षण किया जाना अनिवार्य होगा, इसके अतिरिवत द्यूटीियल, रेमेडिलय क्लासेज आदि में भी शिक्षण का प्रत्यक्ष शिक्षण किया जाना अनिवार्य होगा, इसके अतिरिवत द्यूटीियल, रेमेडिलय क्लासेज आदि में भी शिक्षण का प्रत्यक्ष शिक्षण किया जाना अनिवार्य होगा, इसके अतिरिवत द्यूटीियल, रेमेडिलय क्लासेज आदि में भी शिक्षण का प्रतिधि विद्वान का मानदेव शासन की नीति / निर्देश दिनांक 17.12.2019 की कंडिका 5.1 के अनुसार होगा। 4. अतिथि विद्वान का मानदेव शासन की नीति / निर्देश दिनांक गंतरस्त कर दिया जायेगा। 5. लगातार 15 कार्य दिवस में अनुपरिथत रहने पर आमंत्रण निरस्त कर दिया जायेगा। 6. यह आमंत्रण किसी भी समय विना पूर्व सूचना के सिवि, जनभागीवारी समिति द्वारा समाप्त किया जा सकेगा। शासकीय / अर्द्धशासकीय / अशासकीय सेवा में आपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण / अन्य 7. आपको महाविद्यालय में पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण (अन्य 8. आपको माजभा चार्य प्रवास विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश एफ 1—42/2017/38—1 भोपाल दिनांक 17.12.2019 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के आधार पर महाविद्यालय में सेवाएं देनी होगी। 9. यह आमंत्रण माननीय उच्च न्यायालय के निर्धिय विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया सेवारित माननीय उच्च न्यायालय के निर्धिय का माननीय उच्च न्यायालय के निर्धिय का माननीय उच्च न्यायालय के निर्धिय का माननीय स्वार माननीय स्वार माननीय का निर्धिय का माननीय स्वार माननीय स्वार माननीय स्वार माननीय स्वार माननीय स्वार माननीय स्वार माननीय स्वर माननीय स्व
पृक्तः / 1365' / 202 / प्रतिलिपि — प्रतिलिपि — १. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा रीवा समाग रीवा म.प्र । १. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा रीवा समाग रीवा म.प्र । १. क्षेत्रीय अतिरिक्ष प्रति । प्राप्ति प्रति । प्राप्ति प्रति । प्रति विशेष प्रति । प्
PRINCIPAL Govt. Tulsi College Anuppur Distt. Anuppur (M.P.)